कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक– 3504 /12–1, दिनांकः मसूरी, 03 अप्रैल, 2018।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2, नई टिहरी।

विषयः– प्र0ग्रा0स0 योजना के अन्तर्गत जनपद–टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के किमी0 35 से घेना तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई–3.325किमी0) के निर्माण हेतु वांछित 2.0825 वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सन्दर्भ :– प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/23941/2017, एंव आपकी पत्र सं0 281/ पी0–सिं0 ख0– 2/, दिनांक 21–03–2018

महोदय,

उक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। आपके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की पॉच स्कैन प्रति दि0 27–03–2018 को इस कार्यालय में प्रेषित की गयी है। तदपरान्त वन भूमि का प्रत्यावर्तन आनलाईन प्रस्ताव इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया। आनलाईन प्रस्ताव की प्रभाग स्तर से पुनः जॉच /परीक्षण में कतिपय निम्न कमियां पायी गयी, जिनके निराकरण हेतु आनलाईन प्रस्ताव की हार्ड /स्कैन (चार) प्रतियां इस आशय से वापस की जा रही हैं कि प्रभाग स्तर से इंगित आपत्तियों /कमियों का निराकरण करते हुए आनलाईन प्रस्ताव एंव विषयांकित प्रस्ताव की हार्ड प्रति (मूल में) इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के पत्र सं0 1886/12–1, दिनांक 25–11–2017 एंव पत्र संख्या 2658/12–1, दिनांक 29 फरवरी 2018 में इंगित कतिपय कमियों का निराकरण किये बिना आपके द्वारा प्रस्ताव पुनः आनलाईन किया गया। जिससे प्रयोक्ता एजेन्सी के स्तर से अनावश्यक पत्राचार एंव समय की बर्वादी परिलक्षित होती है।

1. आनलाईन प्रस्ताव में भाग–1 के पैरा B-2-3–Details of village wise breakup में मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत वांछित वन भूमि 0.2975 है0 है, जबकि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 0.295है0 दर्ज/अपलोड किया गया है। कृपया यथास्थान सही /वांछित क्षेत्रफल को आनलाईन अपलोड किया जाय।
2. आनलाईन प्रस्ताव में भाग–1 के पैरा B-2-4–Details of Component wise breakup में Linear अंकित किया गया है जबकि उक्त स्थान पर Component के कम स0 1 में प्रस्तावित मोटर मार्ग अंकित किया जाना था। कृपया यथास्थान Component के कम स0 1 में प्रस्तावित मोटर मार्ग आनलाईन अपलोड किया जाय।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा विषयांकित मोटर मार्ग को रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के किमी0 35 से घेना तक प्रस्तावित किया गया है। किन्तु आनलाईन प्रस्ताव में भाग–1 के पैरा C-(iii) में अपलोड टोपो शीट में 3.00 किमी0 से अंकित है। कृपया प्रस्ताव एंव आनलाईन प्रस्ताव में दर्ज आंकडों में एकरूपता रखी जाय।
4. आनलाईन प्रस्ताव में भाग–1 के K(a) में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत मात्र जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा निर्गत जिलास्तरीय अनापत्ति प्रमाण–पत्रों को अपलोड किया गया है। कृपया जिलास्तरीय अनापत्ति प्रमाण–पत्रों के साथ–साथ उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उप खण्ड स्तरीय तथा सम्बन्धित ग्राम/ग्रामों के ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय अनापत्ति प्रमाण–पत्रों को अपलोड किया जाय।
5. आनलाईन प्रस्ताव में भाग–1 के L(h) Copy of non encumberence certificate for forest land के स्थान पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र अपलोड किया गया है। कृपया उक्त स्थान पर Copy of non encumberence certificate for forest land सम्बन्धी प्रमाण–पत्र अपलोड किया जाय।
6. प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.0825 है0 वन भूमि के बदले दुगने वांछित 4.165 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आपके द्वारा सन्दर्भित पत्र के कम सं0–4 में राजस्व विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु एक खण्ड उपलब्ध नहीं होने तथा पूर्व में किसी भी स्तर से आपत्ति न किये जाने का उल्लेख किया गया है। इसी सन्दर्भ में आपके द्वारा वांछित 4.165 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु एक खण्ड के चयन हेतु राजस्व विभाग को अनुरोध पत्र जारी किया है, यदि हॉ तो उनके द्वारा लिखित उत्तर की प्रति सहित आख्या उपलब्ध करायी जानी चाहिऐ थी। अतः प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.0825 है0 वन भूमि के बदले दुगने 4.165 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु एकमुश्त नये सिविल सोयम भूमि /क्षेत्र का चयन कर चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के डिजीटल मैप, जियोरिफरेन्स मानचित्र आनलाईन अपलोड कर उसकी हार्ड प्रति मय सी0डी0 इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें

संलग्नक–उक्तानुसार। (प्रस्ताव की चार स्कैन प्रति)

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 3504 / दिनांकित।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को उक्त विषयक पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।